22/4/25 अपीलान्ट के अभिभाषक उप० | अभिभाषक अपीलान्ट ने अपीलान्ट मक्खन लाल का शपथ पत्र एवं फार्म नं० 3 किता दो दस्तावेज पेश किये | बहस अपीलान्ट सुनी गई | विवादित आराजी के खातेदार बापू पुत्र पाती थे | उनकी मृत्यु के बाद वारिसान रेवती पत्नी, पुत्र विजयसिंह, मक्खनलाल, गंगाराम पर खातेदारी अधिकार प्रकान्त हुये | नामान्तकरण संख्या 603 ग्राम डण्डोली तहसील मंनिया में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत शिजरे में मक्खनलाल के स्थान पर माखन सिंह अंकित कर दिया | अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण

संख्या 603 ग्राम डण्डौली तहसील मंनिया दिनांक 28/01/2008 को निरस्त कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम मक्खनलाल पुत्र बापू है एव रेस्पो० संख्या 2 लगा०6 ने भी अपने जवाब में अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर मारवनसिंह के स्थान पर मक्खनलाल किये जाने का निवेदन किया है। तथा अपनी सहमति जाहिर की है।

अतः उभयपक्ष की सहमति एंव प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 603 ग्राम डण्डौली दिनांक 28/01/2008 निरस्त किया जाकर तहसीलदार मंनिया को पुनः उभयपक्ष को सूचित कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेशिका की प्रति तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

श्रीनिवेवी टी
जिला कलक्टर, धौलपुर